



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2549]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938

No. 2549]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3296(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना/जोन-जी की जोनल विकास योजना में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.12.2010 की का.आ. 3044(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	दि.सु.यो.-2021 के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	जोन 'जी' के उप-जोन-14 में संत नगर के समीप अस्पताल स्थल	6.30	आवासीय (आर डी)	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (पीएस1 - अस्पताल)	उत्तर: आवासीय दक्षिण: आवासीय पूर्व: 24 मी. मार्गाधिकार सड़क पश्चिम: आवासीय एवं नाला

[फा. सं. के-13011/26/2016-डी.डी. I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

S.O. 3296(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan of Zone-G regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3044(E) dated 24.12.2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section-44 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2 Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications, have been considered by the Delhi Development Authority, and

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The details are as under:

S. No.	Location	Area (in Ha.)	Land Use as per MPD 2021	Land Use changed to	Boundaries
1.	Hospital site near Sant Nagar in Sub-Zone G-14 of Zone 'G'	6.30	Residential (RD)	Public & Semi Public Facilities (PS1-Hospital)	North : Residential South : Residential East : Road 24 mtr R/W West : Residential & Nallah

[F. No. K-13011/26/2016-.DD. I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.